

३-

डॉ- ५४/२०१६/१५-३

उपवीस-२ सचिवालय

विषय: — डॉ. ६७६५/१५ में मोनाक दाव  
सामवेद, सामवेद वि. साखर

का विभाग

— १ के जारी

शायद संकेत / उल्लेख

आवेदन कार्यालय मोनाक के प्रकाश  
रक्षितारी नियुक्त किए जाने प्रस्तावित

१५/६

सर पूर्व पृष्ठ पर २/३

'अ' अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Signature  
2/3/16

~~प्रमुख सचिव~~

क प्रकाशकारी।

~~१५/६~~

Signature  
२/३/१६

~~१५/६~~  
५०३

३/३

स्वरूप की हस्ताक्षरित प्रस्तुत

आ.आ.  
१५/६

५०३

जावक नं. ५५५-५२  
दिनांक ४-३-१६  
किशन कलानंदन के विभाग विभाग  
(साखा-३), न.स.स.स. मोनाक

५/३

५/३/१६

३/३/१६

५/३/१६

विषय: जी-5-34/16/14-3

उत्तर प्रदेश सरकार के अवरुद्ध प्रमाणित जी-67/2016 में जी-5-34/16/14-3

विषय:

राज्य की चरित्र और अन्य लिखित मंत्रों शासन

५-

पंजीकरण 435/16 दिनांक 17/2/16

आपत संचालक मंत्रों राज्य कृषि

विषय को आचार्य कायसिप गोपल से प्राप्त प्रमाण का प्रमाण अवलोकन करें।

उक्त प्रमाण में उत्तराखण्ड का एक को राज्य से प्राप्त संचालक करें हेतु संचालक/उप संचालक मंत्रों राज्य कृषि विभाग को आचार्य कायसिप गोपल को जारी अधिकारी नियुक्त करें हेतु प्रस्तावित किया गया है।

उक्त उत्तराखण्ड की कोट से उत्तराखण्ड हेतु भी महाविद्यालय कायसिप इत्यादि को विधि विभाग से निर्दिष्ट जारी कराई जाने हेतु भी निवेदन किया गया है।

मात्र ही से उत्तरी अधिकारी नियुक्त करें हेतु आदेश जारी किया जावे।  
आदेशार्थी।

11/3/16

न. प्र. राज्य कृषि विभाग  
कोट न - - - (2)

11-3-16

से. ५३५/१६/१५३

सं. ३-  
का विभाग

विषय : - डा. डी. ७७५५/१५ के खेवा क दादा  
राजेश्वर वि. शास्त्र  
है।  
जारी किया गया। उसी रात अर्द्ध रात को  
विश्व विद्या की अर्द्ध रात को अर्द्ध रात को

का श्री

प्रतिरक्षण आदेश हेतु  
विश्व विद्या की अर्द्ध रात को अर्द्ध रात को

DS/6

सह प्रतिरक्षण आदेश हेतु  
प्रकरण विश्व विद्या की अर्द्ध रात को  
करना चाहेंगे।

प्रमुख सचिव

प्रतिरक्षण आदेश हेतु नसी अर्द्ध रात को

प्रमुख सचिव (विश्व)

9/3/16

PSIFWAD  
No. 406  
Date 9/3/16

7/52

विश्व विद्या की अर्द्ध रात को अर्द्ध रात को  
विश्व विद्या की अर्द्ध रात को अर्द्ध रात को

10-3-16

○  
छत्तीस-२ सचिवालय

विषय :

कत विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/डी-5/34/16/14-3/आदेश//

भोपाल दिनांक 4.3.16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी-6764/2015 मेसर्स श्रीनाथ दास राम चंदर प्रो० श्रीनाथ दास राममंडी पचोर जिला राजगढ़ विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, मे मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
8. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
9. जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।

10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।
11. यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
13. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।
14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशांसा के साथ(सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि  
विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांक 4.3.16

कमांक/ 5-5134/2016/14-3  
प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबन्ध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संबंधित जिलाध्यक्ष, राजगढ़ मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचलिक कार्यालय-भोपाल (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख ..... हेतु नियत की गई है।

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
विभाग, मंत्रालय भोपाल

**BY. RECD. POST**

**THE High Court of Judicature at Jabalpur, Bench at Indore**

04-01-2016

WP/6764/2015

to

Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Indore

Against Admn and CP  
R/N for 27-01-2016  
WP-DA-1  
Respondent No. 2

M.P. Udy Krishi Vipan Board,  
Through Managing Director,  
2nd Green Hills, Kisan Bhawan, Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH).

659  
19-01-16

Indore 04-01-2016

Re: Respondent No. 2 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/6764/2015

Madam,

I am directed to inform you that one M/s. Shreenath Das Ram **Chandar Through Shreenath** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (copy enclosed) in this Court and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/6764/2015.

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 27-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.


6/3

1  
1 of the Court)  
2: Copy of Petition

Your's faithfully

19-01-16

DEPUTY REGISTRAR



Saturday 02 January 2016 04:20

**BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYAPRADESH  
BENCH AT INDORE**

**Writ petition No. 6764 /2015**

**M/s Shreenath Das Ram Chandar  
Through Proprietor Shreenath Das**

.....  
**Petitioner**

**V/S**

**State of M.P. & Others**

.....  
**Respondents**

**INDEX**

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars of Documents</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
1.	Writ Petition U/A 226 Constitution of India		1-5
2.	Declaration		6
3.	Affidavit		7
4.	Chronological List of Events		8
5.	List of Documents		9
6.	Copy of the Notice	P-1	10
7.	Copy of the License	P-2	11
8.	Copy of the account Statement	P-3	12
9.	Copy of the resolution	P-4	13-14
10.	Copy of the request for permission	P-5	15-17
11.	Copy of the request from trader Representative	P-6	18-21
12.	Copy of the resolution of Mandi samiti	P-7	22-23
13.	Copy of the requesting letter from Mandi samiti to Collector	P-8	24
14.	Copy of the trader representative Of Mandi Samiti	P-9	25
15.	Vakalatnama		26

**Date: 18.09.2015**

**Place : Indore**

**Submitted by**

**Manish Vijayvargiya  
Counsel for petitioner**